



दिनांक: 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान व 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01/04/2024 को विद्यासागर पुत्र श्री रामकृष्ण शर्मा निवासी मोहल्ला कानून गोयान निकट आर्य कन्या इन्टर कालेज गंगोह सहारनपुर ने थाना गंगोह उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 31/03/24 की रात्रि में उसके घर में अज्ञात चोर ने अलमारी से ज्वैलरी चोरी कर ली है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-123/24 धारा 380 भा.द.वि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी गये सामान की शीघ्र बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा उक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **माजिद उर्फ डाकू पुत्र एहसान निवासी कबाडी वाली गली मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को तितरो रोड़ से दूधला रोड़ को जाने वाले रोड़ पर आम के बाग से लगभग 100 मीटर पहले थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी गये सामान को बरामद किया तथा एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। चोरी के माल की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 123/24 में धारा 411 भा.द.वि की वृद्धि की गयी तथा अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 126/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि तीन दिन पहले मैंने मोहल्ला कानून गोयान में एक मकान में छत के रास्ते से घुसकर कमरे में रखी अलमारी से यह सारी ज्वैलरी चोरी की थी उस दिन घर पर दूसरे कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति व महिला सोयी हुई थी। सामान चोरी करके मैं छत के रास्ते से ही वहाँ से भाग गया था। साहब जो तमंचा व कारतूस मुझसे मिला है इसको मैं अपने बचाव के लिए तथा लोगो को डराने के धमकाने के लिए रखता हूँ। यह मैंने काफी दिन पहले लखनौती रोड़ से राह चलते व्यक्ति से सस्ते दामो में खरीदा था। मैं उस व्यक्ति का नाम व पता नहीं जानता हूँ। आज मैं चोरी के सामान को बेचने के लिए नकुड़ जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

माजिद उर्फ डाकू पुत्र एहसान निवासी कबाडी वाली गली मौकुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद 0 सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 03 लैडीज अंगूठी पीली धातु
- 01 जैन्ट्स अंगूठी पीली धातु
- 01 जोडी कानो की बाली पीली धातु
- 01 जोड़ी टॉप्स झुमकीदार
- 01 लोंग नगनुमा पीली धातु
- 01 टॉप्स पीली धातु
- 01 टॉप्स झुमकीदार पीली धातु
- 01 नथ मोतीनुमा पीली धातु
- 01 हार पीली धातु
- 05 जोड़ी पाजेब सफेद धातु
- 35 जोड़ी बिछवा सफेद धातु के
- 01 अंगूठी सफेद धातु
- 01 कमर का गुच्छा सफेद धातु
- 01 जोड़ी कढा बच्चो का सफेद धातु
- 01 मंगलसूत्र मालादार सफेद धातु
- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त माजिद उर्फ डाकू उपरोक्त

- (1) मु0अ0सं0- 56/21 धारा 398/401 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0-58/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (3) मु0अ0सं0-123/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (4) मु0अ0सं0-272/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (5) मु0अ0सं0-123/24 धारा 380/411 भा.द.वि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (6) मु0अ0सं0- 126/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पलिस टीम-

1. उ0नि0 सन्दीप सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 1606 दीपक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को वाद सं0 235/20 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर (माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी/एसटी सहारनपुर) से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त **बिट्टू पुत्र जगपाल कश्यप निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मसकन से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

बिट्टू पुत्र जगपाल कश्यप निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2262 मानवेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2175 गोपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा छेड़छाड़ व चोरी के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24/03/2024 को वादिया ने थाना देवबन्द पर उपस्थित आकर लिखित सूचना दी कि 1.दिलशाद पुत्र मोहरर्म निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा घर में घुसकर वादिया की आलमारी से 10 हजार रुपये उठा लेना व वादिया के साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ देना व धमकी देना तथा विपक्षी 2.महताब पुत्र मोहरर्म निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3.समीर पुत्र नोशाद उर्फ सादी निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 4.रिहान पुत्र महताब निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-145/2024 धारा 452/379/354ख/504/506 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के वांछित अभियुक्त **दिलशाद पुत्र मोहरर्म निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को आज 04.04.24. को ग्राम झबीरन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दिलशाद पुत्र मोहरर्म निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 स्वाति रानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 परविन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 रवि तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 ली0 कच्ची

शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु शातिर अपराधी/नशा तस्कर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **नितिन पुत्र अशोक कुमार नि0 ग्राम निहाल खेडी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को 20 ली0 कच्ची शराब के साथ सडक हाईवे जडौदा जट्ट के रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 157/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नितिन पुत्र अशोक कुमार नि0 ग्राम निहाल खेडी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

20 ली0 कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री शीतल शर्मा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- का0 उमेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- का0 मनोज शर्मा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 03 नाजायज छुरे बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0-121/24 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के 04 वांछित अभियुक्तगण 1. आलिम पुत्र यासीन उम्र करीब 35 वर्ष 2.ताहिर पुत्र यासीन उम्र करीब 33 वर्ष 3. अकबर पुत्र यासीन उम्र करीब 22 वर्ष 4.मोबिन पुत्र जहूर हसन उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह सहारनपुर को आज दिनांक 04/04/2024 को कुण्डा खुर्द अड्डे तिराहे से गाँव बेगीनाजर जाने वाली सड़क पर करीब 550 मीटर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा तथा 03 छुरे बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 127/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. आलिम पुत्र यासीन निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष
2. ताहिर पुत्र यासीन निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह सहारनपुर उम्र करीब 33 वर्ष
3. अकबर पुत्र यासीन निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह सहारनपुर उम्र करीब 22 वर्ष
4. मोबिन पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- 01 तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 03 नाजायज छुरे

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आलिम:-

1. मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जिला स0पुर
2. मु0अ0सं0 156/2022 धारा 307/34 भादवि थाना गंगोह जिला स0पुर
3. मु0अ0सं0 70/2021 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला स0पुर
4. मु0अ0सं0 518/19 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रकता थाना गंगोह जिला सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0 578/2020 धारा 147/323/504 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 121/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

7. मु0अ0सं0- 127/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोबिन:-

1. मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जिला स0पुर,
2. मु0अ0सं0 156/2022 धारा 307/34 भादवि थाना गंगोह जिला स0पुर
3. मु0अ0सं0 188/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बजार जिला स0पुर
4. मु0अ0सं0 46/2019 धारा 323/354/498ए/504/506 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0- 121/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 127/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ताहिर:-

1. मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जिला स0पुर
2. मु0अ0सं0 156/2022 धारा 307/34 भादवि थाना गंगोह जिला स0पुर
3. मु0अ0सं0 238/2023 धारा 420/414 भादवि थाना गंगोह जिला स0पुर
4. मु0अ0सं0 535/17 धारा 174ए भादवि थाना गंगोह जिला स0पुर
5. मु0अ0सं0 310/2016 धारा 147/148/307/326/336/504/506 भादवि व 7 क्रि0एक्ट, थाना गंगोह जिला स0पुर
6. मु0अ0सं0- 121/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 127/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अकबर:-

1. मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जिला स0पुर
2. मु0अ0सं0 156/2022 धारा 307/34 भादवि थाना गंगोह जिला स0पुर
3. मु0अ0सं0 238/2023 धारा 414/465 भादवि थाना गंगोह जिला स0पुर
4. मु0अ0सं0- 121/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 127/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नीरज कुमार गुप्ता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 409 नरेन्द्र यादव थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 1037 विराट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का0 922 वंश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. कां0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. कां0 2521 राजेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक- 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण, अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त **सद्दाम पुत्र शमीम निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को छुटमलपुर कट से गदेवड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर बिजली घर के बगल वाला रास्ता चौकी क्षेत्र चमारीखेड़ा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त के कब्जे से **12 बोतल अवैध देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का** बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर **मु0अ0सं0 71/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं यह शराब हरियाणा से सस्ते दाम में खरीदकर यहा उ0प्र0 में आस पास के क्षेत्र व अपने गांव में महंगे दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं। आज भी मैं यह शराब बेचने के लिये लाया था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सद्दाम पुत्र शमीम निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

12 बोतल अवैध देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 365/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 278/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 174/18 धारा 354ख, 429, 504, 506 भादवि चालानी थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 69/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना फतेहपुर सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 71/24 धारा 63 आबकारी अधि0 चालानी थाना फतेहपुर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से

502 ग्राम नाजायज चरस बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शराफत पुत्र मौहम्मद नाजिम निवासी मौहल्ला इमामीयान कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम चढाव रोड़ जिन्दा हसन के आम के बाग के सामने सड़क पर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 502 ग्राम नाजायज चरस गिरफ्तार किया गया। बरामदगी / गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शराफत उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 105/24 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि0गण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शराफत उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ साहब यह चरस मैं हरियाणा प्रान्त से आने जाने वाले लोगों से सस्ते दामों पर ले आता हूँ और यहाँ लाकर अच्छे पैसों में इसे आने जाने वाले लोगों को नशे के लिये बेचता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं यह चरस हरियाणा राज्य से खरीदकर यहाँ आस पास के क्षेत्र में बेचने के लिये लाया था, कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता:-

शराफत पुत्र मौहम्मद नाजिम निवासी मौहल्ला इमामीयान कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

502 ग्राम नाजायज चरस

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का01021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- 4 है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- 5.का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 04.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 26 पच्चे शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी हुसैन बस्ती बिजली घर के पास थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को सपना पुल के बगल से जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **26 पच्चे हीट प्रिमियम व्हीस्की अरूणाचल प्रदेश मार्का** बरामद हुये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर **मु0अ0सं0 69/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त ने बताया की मैं कम पढा लिखा हूँ तथा मैं गैर राज्यों से शराब खरीदकर आसपास के क्षेत्र में अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी हुसैन बस्ती बिजली घर के पास थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

26 पच्चे अवैध शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 203/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात, जनपद सहारनपुर।
- 2- मु0अ0सं0 115/2021 धारा 60 आब0अधि0 थाना को0नगर, जनपद सहारनपुर।
- 3- मु0अ0सं0 106/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर।
- 4- मु0अ0सं0 04/2011 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 379 भादवि थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
- 5- मु0अ0सं0 344/2013 धारा 398/401 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 6- मु0अ0सं0 117/2008 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0नगर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 इन्द्रसैन थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. कां0 1675 गगन कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1751 अजय कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नफर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 25 फ्रूटी देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04/04/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **अफजल पुत्र रईस निवासी किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को कम्पनी बाग के गेट के पास बने सुलभ शौचालय के सामने सड़क जो बेहट की ओर जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **25 फ्रूटी देशी शराब मसाला ट्विन टावर उ0प्र0 मार्का** बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध **मु0अ0सं0 78/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं यह शराब ठेके से खरीद कर अपने मौहल्ले में महगें दामो में बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अफजल पुत्र रईस निवासी किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0- 54/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
- मु0अ0सं0- 224/22 धारा 379,411,420,465,471 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
- मु0अ0सं0- 239/22 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

25 फ्रूटी देशी शराब मसाला ट्विन टावर उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. का0 1065 अनुजपाल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 04-04-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त **धर्म पुत्र पल्टू निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगाँव पर मु०अ०स०-78/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायाल के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कच्ची शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

धर्म पुत्र पल्टू निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ०नि० पंकज कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 544 राहुल कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 160 ग्राम चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चालये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त आरिफ उर्फ मुन्ना पुत्र महबूब निवासी पीर वाली गली नं0 25 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को ग्राम शाहपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 160 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 139/24 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि ब मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ उर्फ मुन्ना पुत्र महबूब निवासी पीर वाली गली नं0 25 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 358/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0431/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

1. 160 ग्राम चरस नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. हे0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. कां0 978 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
4. का0 1600 मनोज कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे
से 117.6 ग्राम चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चालये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त रिहान पुत्र सलीम निवासी विश्वास नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को कब्रिस्तान के गेट पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 117.6 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0140/24 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि ब मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिहान पुत्र सलीम निवासी विश्वास नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 117.6 ग्राम चरस नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

है0का0 477 विनोद कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

है0का0 516 सोनू कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

का0 1460 अंकित पवार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक - 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 पक्के HEAT PREMIUM WHISKY ARUNACHAL PRADHESH MARKA बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब व नशीले पदार्थों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त सोनू उर्फ अमित कुमार पुत्र कैलाश चन्द निवासी मौ0 जाहिद निवासी जनकनगर तकिया थाना जनकपुरी सहारनपुर को एसबीडी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 25 पक्के HEAT PREMIUM WHISKY ARUNACHAL PRADHESH MARKA बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 70/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सोनू उर्फ अमित कुमार उपरोक्त ने बताया की साहब मैं कम पढा लिखा हूँ तथा मैं गैर राज्यों से शराब खरीदकर आसपास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू उर्फ अमित कुमार पुत्र कैलाश चन्द निवासी मौ0 जाहिद निवासी जनकनगर तकिया थाना जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

25 पक्के HEAT PREMIUM WHISKY ARUNACHAL PRADHESH MARKA

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 लोकेश कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. कां0 2343 संदीप कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. कां0 1751 अजय कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त फरीद पुत्र हनीफ निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर** को आनन्द बाग कालौनी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 08 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-123/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त फरीद उपरोक्त ने बताया कि मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरीद पुत्र हनीफ निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी-

➤ 08 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

12 बोतल रशीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर **अभियुक्त युनूस पुत्र कैमद्दीन निवासी ग्राम रहना माजरी थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को राहीश फार्म हाउस जंगल ग्राम रहना माजरी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 बोतल देशी शराब रशीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 67/24 धारा 60/63आबकारी अधि0** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। मैं देशी शराब हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

युनूस पुत्र कैमद्दीन निवासी ग्राम रहना माजरी थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 150/21 धारा 379/411 भादवि व 5क/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 02/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 12 बोतल रशीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 यशपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2028 प्रवीन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बड़गांव के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक शिव कुमार द्वारा मय हमराह फोर्स 01 वारंटी अभियुक्त अभियुक्त रजनीश पुत्र परसाराम नि0ग्रा0 जडौड़ा पांडा थाना बड़गांव जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 04/21 वाद सं0 140/21 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना बड़गांव जिला सहारनपुर मा0 न्यायालय सिविल जज देवबन्द को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रजनीश पुत्र परसाराम नि0ग्रा0 जडौड़ा पांडा थाना बड़गांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

3. उ०नि० श्री शिव कुमार थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।

4. का0 612 दीपक थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व वारन्टी व शातिर अपराधी/नशा तस्कर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त रामेश्वर पुत्र हरज्ञान नि0 तिगरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को 20 ली0 कच्ची शराब के साथ ग्राम राजूपुर से तिगरी जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 159/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रामेश्वर पुत्र हरज्ञान नि0 तिगरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

20 ली0 कच्ची शराब

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 488/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना देवबन्द स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री खूब सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- का0 2183 संजू सैम थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- का0 2233 द्विवेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 04.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे-15 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का संश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: –

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.04.2019 को वादिया श्रीमती थाना को0देहात जनपद सहारनपुर की नाबालिक लडकी के साथ अभियुक्त रवि कुमार पुत्र अषोक कुमार नि0 हलालपुर थाना कोतवाली देहात द्वारा घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना व छेडछाड करने की सूचना पर मु0अ0सं0 208/2019 धारा 354,452, भादवि व 3(2)5ए व 3(1)दध एससी/एसटी एक्ट व 9/10 पोक्सों अधिनियम थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 109/2019 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 04.04.2024 को अभियुक्त 1-रवि कुमार पुत्र अषोक कुमार को मु0अ0सं0 208/2019 धारा 354,452, भादवि व 8/10 पोक्सों अधिनियम का दोषी पाते हुए 05 वर्ष का संश्रम कारावास 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती चंचल पुण्डीर
विवेचक अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चन्द्र मिश्र
पैरोकार हे0का0 963 सचिन कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।